

महाराष्ट्र उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
—बनैसिंह—बगैसनाम—बनाम—सामपति वगैरा

मु. सं. 97/20

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

दिनांक 22-02-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति संतुष्ट नहीं है तथा वाद को चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकनीत दाखिल दफ़तर हो।

आदेश सुनाया गया।

